उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-2/2026/वे0आ0-2-153/दस-69(सामान्य)/2010

लखनऊ : दिनॉक : 06 मार्च, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2-3075/दस-69(सामान्य)/2010, दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा वित्त वेतनमान (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ के लिये विभिन्न श्रेणी के कुल 15 पदों का सृजन किया गया था। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2017/वे0आ0-2-114/दस-69(सामान्य)/2010, दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा वरिष्ठ परामर्शदाता का 01 पद तथा समीक्षा अधिकारी के 02 पदों को समाप्त किया जा चुका है एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/वे0आ0-2-99/दस-69(सामान्य)/2010, दिनांक 28 फरवरी, 2019 द्वारा वरिष्ठ परामर्शदाता का 01 पद, विशेष कार्याधिकारी (नियमावली) का 01 पद, विशेष कार्याधिकारी (विधि) का 01 पद तथा अनुसेवक के 02 पदों को समाप्त किया जा चुका है। शेष 07 पदों की आवश्यकता विभाग में बनी हुयी है। अतः राज्यपाल महोदया निम्नांकित 07 पदों की निरन्तरता दिनांक 28 फरवरी, 2027 तक के लिये, यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन/पुनरीक्षित मैट्रिक्स	पदों की संख्या
1	शोध अधिकारी	वेतन बैण्ड-3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400, लेवल-10 (वेतनमान रू0 56100-177500)	01
2	सहायक समीक्षा अधिकारी	वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200, लेवल-6 (वेतनमान रू0 35400-112400)	02
3	कम्प्यूटर सहायक	वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400, लेवल-4 (वेतनमान रू0 25500-81100)	02
4	अनुसेवक	वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800, लेवल-1 (वेतनमान रू0 18000-56900)	02
		कुल पद	**07**

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों (संविदा कर्मचारियों को छोड़कर) को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स में सादृश्य लेवल के अतिरिक्त महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तें एवं सुविधायें जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

3- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियॉ-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

पुष्पराज

विशेष सचिव।

संख्या-2/2026/वे0आ0-2-153(1)/दस-69(सामान्य)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(3) वित्त (सेवायें) अनुभाग-1

(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4

(5) इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) आहरण वितरण अधिकारी, वेतन समिति (02 प्रतियों में)।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5

(8) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5/6

आज्ञा से,

पुष्पराज

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in